मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 09.06.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियोग में 02 आरोपियों को करायी गई सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01 मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण —

दिनांकः06.05.2014 को थाना कछवां पर वादी बाबूलाल पुत्र स्व0काशीनाथ निवासी भवानीपुर थाना औराई जनपद भदोही द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने एवं जला देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना कछवां जनपद मीरजापुर पर मु0अ0सं0-344/2014 धारा 498ए,304बी,326 भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी शिवप्रसाद सिंह, डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक- पुलिस उपाधीक्षक गीतांजली सिंह व सर्वजीत शाही, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी हवलदार सिंह यादव व आरक्षी वेद प्रकाश यादव तथा पैरोकार-लवकुश सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः09.06.2025 को मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01 मीरजापुर-संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध 02 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1.मनोज यादव पुत्र जमुना यादव व 2.नीतू उर्फ नीलू पत्नी राकेश यादव निवासीगण कछवांडीह थाना

कछवां जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सा0कारावास भुगतना होगा।